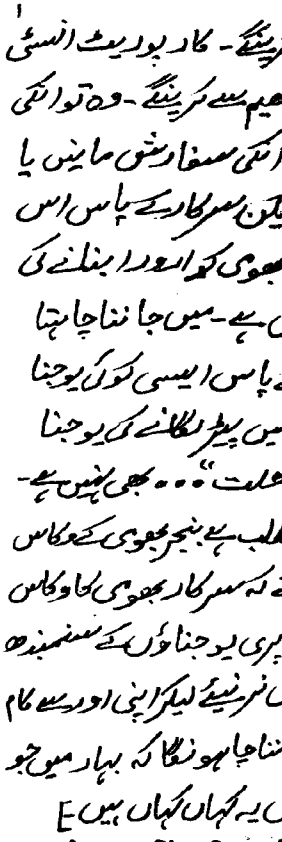

कर्नल राम सिंह: बिहार की दो योजनाएं है एक डिस्ट्रिक्ट रोहतास में और दूसरी डिस्ट्रिक्स गिरडीह में। दोनों स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजी गयी है रीफारमुलेशन के लिए—प्रोजेक्ट में कुछ कमियां थीं। जहां तक 66 प्रोग्राम हैं, जो कहते है 15 साल से पेंडिंग है, 15 साल तो इस डिपार्टमेंट को बने हुए ही नहीं हुए हैं। यह डिपार्टमेंट ही बना था 1991 में इसलिए 15 साल का तो सवाल ही नहीं है। ये 66 प्रजेक्ट साल-डेढ़ साल से पेंडिंग है और साथ साथ अनेकों प्रोजेक्ट सैक्शन भी हो चुके हैं। इन 66 प्रोजेक्ट की पेंडिंग की स्थिति यह है कि इनमें से 21 राज्य सरकारों को वापस भेजे गए हैं रीफारमुलेशन के लिए क्योंकि वे हमारी गाइड लाइन्स के अनुसार नहीं बनाए गए थे। इन 66 में से 17 प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की तरफ से सैक्शन होकर प्रोसेस होकर फाइनेंस के पास है और हम उम्मीद करते है कि हफ्ते दस दिन या पन्द्रह दिन में वे सैक्शन होकर फंड्स रिलीज हो जाएंगे और 66 में से बाकी प्रोजेक्टस अंडर प्रोसेस हैं विद द डिपार्टमेंट।

MR. CHAIRMAN: Question No. 65.

*65. *[The questioners (Shri Anatray Devshanker Dave and Shri Chiman Bhai Mehta) were absent. For answers, vide col. 35 infra].*

लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समुन्नति परिषद् (कपार्ट) की स्थापना

*66 **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:†

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समुन्नति परिषद् की स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस परिषद् के गठन का उद्देश्य क्या था और इसमें कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि इस परिषद् के संचालन के लिए आवंटन भी वार्षिक बजट से किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के वित्तीय वर्षों के दौरान इस परिषद् के कुल कितने धन का आवंटन किया गया; और

(ङ) ऊपर उल्लिखित अवधि के दौरान वर्ष वार कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री तथा कृषि मंत्री (डा॰ जगन्नाथ मिश्र): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) परिषद का गठन ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि करने के लिए नए प्रौद्योगिकीय आदानों पर ध्यान केन्द्रित करके ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने, बढ़ावा देने और सहायता देने के उद्देश्य से किया गया था।

कापार्ट के नियमों तथा विनियमनों के अनुसार, कापार्ट की आम सभा के सदस्यों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) अपेक्षित ब्यौरे निम्न प्रकार है:—

(रु० करोड़ में)

वर्ष	सरकार द्वारा कापार्ट को दी गई राशि	कापार्ट द्वारा खर्च की गई राशि
1992-93	42.40	38.47
1993-94	62.01	62.54
1994-95	72.50	49.99

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, मेरा यह सवाल "कपार्ट" से संबंधित है। "कपार्ट" माने काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपल्स एक्शन इन रूरल टेक्नालाजी। सरकार ने स्वीकार किया है कि इस काउंसिल का गठन ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था और इसके लिए सरकार अपने वार्षिक बजट में से इस काउंसिल को पैसा देती है। लेकिन जो आंकड़ा मैंने पिछले तीन वर्षों का मांगा था सरकार से कि कितना बजट आपने दिया और कितना काउंसिल ने खर्च किया तो सभापति जी यह 1994-95 का आंकड़ा इतना कष्टप्रद है कि 72 करोड़ 50 लाख रुपए इस काउंसिल को सरकार ने अपने वार्षिक बजट में दिए और इस काउंसिल ने केवल 49 करोड़ 99 लाख रुपए यानी केवल 50 करोड़ रुपए खर्च किए। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि एक तरफ हम, ग्राम अविकसित है, इस बात का रोना रोते है दूसरी तरफ धन की कमी का रोना रोते है लेकिन तीसरी तरफ जो काउंसिल केवल ग्रामीण विकास के लिए बनायी गयी है उसका साढ़े 22 करोड़ रुपया बिना खर्च किए लैप्स हो जाता है। सरकार को इस बारे में क्या कहना है? यह सरकार का अपना दिया हुआ आंकड़ा है कि साढ़े 22 करोड़ रुपया बिना खर्च किए हुए रह गया। 72 करोड़ का आंवटन था, केवल 50 करोड़ खर्च किया है इस काउंसिल ने। मुझे यह जानना है।

डा० जगन्नाथ मिश्र: जैसी कि सूचना है, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कार्य कराए जाते हैं। जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं उनके क्रियाकलापों को देखते हुए पहली किश्त विमुक्त की जाती है, स्वैच्छिक कार्य होते हैं तो दूसरी किश्त विमुक्त की जाती है। जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक जिन संस्थाओं ने पहली किश्त के पैसे का सही उपयोग नहीं किया, जो प्रतिवेदन हमारे पास आए उनके अनुसार, इसलिए उन संस्थाओं की अगली किश्त विमुक्त नहीं की गयी इसलिए कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग न हो। स्कीमें मंजूर की जाती है, योजनाएं मंजूर की जाती है, पैसे विमुक्त किए जाते है, अगर सही उपयोग नहीं होता है तो अगली किश्त उनकी रोक दी जाती है। इसलिए सरकार की ओर से "कपार्ट" ने कोई कोताही नहीं की है, कोई कमजोरी नहीं की है बल्कि सार्वजनिक धन का अपव्यय न हो, दुरुपयोग न हो उसके लिए उन्होंने सख्ती रखी है। इस वजह से इस साल के लिए जितने पैसे का उपबंध किया गया था उसका उपयोग नहीं हो पाया।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, मेरी दूसरी सप्लीमेंटरी उनके इसी जवाब में से निकलती है। उन्होंने कहा कि स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से कपार्ट काम करती है, यह बिल्कुल ही है कि एन०जी०ओज़० को कपार्ट पैसा देती है, सभापति महोदय, यह बिल्कुल सर्वविदित बात है जो अध्ययन कापार्ट के काम की कार्यशैली के हुए हैं जिसमें स्वयं कपार्ट ने माना है कि जो पैसा कपार्ट ने एन०जी०ओज़ को दिया है उसमें से 30 परसेंट, आई रिपीट 30 परसेंट एन०जी०ओज़ फेग पाए गए या नॉन फंक्शनिंग पाए गए तब मंत्री महोदय इस बात पर जवाब दे करके सन्तुष्ट हो रहें हैं कि उन्होंने जब बताया कि बाकी पैसा बचा लिया उसका दुरुपयोग होने से रोक लिया, मैं यह पूछना चाहती हूं मंत्री महोदय कि यह पैसा ग्राम विकास के सदुपयोग के लिए दिया गया था, जब स्वयं सेवी संस्थाओं को आपने चुना उन स्वयं सेवी संस्थाओं की किसी तरह की जांच नहीं की गई और 30 परसेंट पैसा फे और नॉन-फंक्शनिंग एन०जी०ओज़ को दिया गया और साढ़े बाइस करोड़ रुपये लैप्स हो गए। यह कौंसिल की कारगुजारी है, उस कौंसिल की जो ग्राम के विकास के लिए बनाई गई है जो कौंसिल स्वैच्छिक संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि आपने क्या कार्यवाही की है? 1986 से जब से यह कौंसिल बनी हुई है तब से क्या निगरानी सरकार इस पर रख रही है कि इस तरह की कौंसिल ~~ऐसे केस~~ एन०जी०ओज़ को पैसा देती है, 30 परसेंट पैसा गलत देती है और यहां साढ़े 22 करोड़ रुपया खर्च नहीं करती है, इसके बारे में मंत्री जी को क्या जवाब देना है?

डा० जगन्नाथ मिश्र: सभापति जी, आगे 71वां प्रश्न है रामदेव भंडारी जी का, उसी प्रश्न से जो माननीय सदस्या ने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मिल जाएगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अब रामदेव भंडारी जी का प्रश्न आएगा या नहीं आएगा, आप मेरा जवाब तो दे दीजिए।

डा० जगन्नाथ मिश्र: मैं आप ही का जवाब दे रहा हूं।

MR. CHAIRMAN: I will be calling Mr. Bhandari for a supplementary.

डा० जगन्नाथ मिश्र: हमारे पास जो सूचना है उसके मुताबिक 224 स्वयं सेवी संस्थाओं को हमने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है जिन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया है तो फिर दोबारा ऐसी संस्थाओं को हम पैसा नहीं दे सकते। इसलिए जो व्यय निर्धारित थे, जो व्यय होने थे इन संस्थाओं ने उनका व्यय नहीं किया, इसकी जांच करने के बाद उनसे पूछा और पूछने के बाद जब उनके जवाब संतोषप्रद नहीं थे तो उन्हें हमने काली सूची में दर्ज कर दिया है और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसलिए सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं हुई है और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए दोबारा हमने उन संस्थाओं को राशि नहीं दी है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: हद हो गई, सभापति जी, दिए हुए पैसे में से 224 संस्थाएं ब्लैक लिस्टेड करनी पड़ी और यह कह रहे हैं कि इन्होंने दुरुपयोग नहीं किया है। क्या पैसा देने से पहले जांच नहीं की जानी चाहिए थी कि ये स्वयं सेवी संस्थाएं काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? पैसा देने के बाद में यह जांच करते हैं?

डा० जगन्नाथ मिश्र: किसी स्कीम को मंजूर करने के पहले उसकी जांच की जाती है, उस सोसायटी के गठन की जांच की जाती है, हर स्कीम के लिए अलग से मोनिटर बहाल किए जाते हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: किए जाते हैं तो यह कैसे हो गया?

डा० जगन्नाथ मिश्र: इसकी जिम्मेदारी तो कोई नहीं ले सकता है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: जो जांच की गई है, जो प्रतिवेदन हैं इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 224 संस्थाएं आपको ब्लैक लिस्टेड करनी पड़ी, 224 संस्थाएं फेग निकलीं। वे पैसे का दुरुपयोग कर रही थीं इसकी जांच पैसा दिए जाने से पहले की जानी चाहिए थी या बाद में की जानी चाहिए थी?

डा० जगन्नाथ मिश्र: माननीय सदस्या को हमें शाबाशी देनी चाहिए कि हमने दुरुपयोग होने से रोका।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: पैसा लुटाते हैं और शाबाशी चाहते हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज: गलत पैसा देने की शाबाशी दूं आपको, पूरे सदन से शाबाशी दिलाऊं आपको?

MR. CHAIRMAN: Let him speak ..... (*Interruptions*)....

श्री रामदेव भंडारी: सभापति महोदय, मैं इनको शाबाशी दे रहा हूं क्योंकि ये कपार्ट के पैसे का दुरुपयोग करने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मगर कपार्ट में इतने बड़े पैमाने पर लूट हो रही इसकी खबरें लगातार अखबारों में छपती रहती हैं और अब कपार्ट की यह हालत है मान्यवर, कि अगर सूचना मांगी जाए, प्रश्न के माध्यम से या चिट्ठी लिख कर तो वह कोई सूचना देने के लिए तैयार नहीं होते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 30 नवंबर को अतारांकित प्रश्न संख्या 493 .....। के द्वारा मैंने "कपार्ट" से सूचना मांगी है कि मुझे आप उन संस्थाओं की सूची दें जिन संस्थाओं को कालीसूची में दर्ज किया गया है। महोदय, आज भी शायद वह सूची नहीं देते, अगर यह तारांकित प्रश्न नहीं आता। इस तरह से वह सूचनाओं को छिपाते हैं और महोदय पैसा मिला 72.50 करोड़ और खर्च किया गया 49.99 करोड़। महोदय, मुझे 30 नवम्बर को 359 संस्थाओं के बारे में सूचना मिली कि इन को ब्लैकलिस्टेड किया गया है और अब मंत्रीजी कह रहे हैं कि इन संस्थाओं की संख्या 224 है। तो कौनसा फिगर सही है, जो 30 नवम्बर को मुझे मंत्री महोदय से मिली 359 की या आज जो कह रहे हैं 224 की? (...**व्यवधान**)... आप ने 31-12-95 तक 224 ब्लैकलिस्टेड संस्थाओं की सूची दी है और 30 नवम्बर को मुझे जवाब दिया है कि 359 संस्थाओं को बलैकलिस्टेड किया गया है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदय, जिस "कॉल्युजन" से पैसा दिया गया था उसी "कॉल्युजन" से वापिस हो रहा है (...**धवधान**)...

श्री रामदेव भंडारी: अब कौनसा फिगर करेक्ट है आप ही बताइए।

MR. CHAIRMAN: Please sit down. The Minister is answering.

श्री रामदेव भंडारी: महोदय, अभी मेरा सवाल नहीं हुआ है। यह तो मैंने फिगर बताया है उन को।

MR. CHAIRMAN: Will you now ask your question?

श्री रामदेव भंडारी: महोदय, मैं मधुबनी जिले से आता हूं और मधुबनी जिला मंत्री महोदय की राजनीति का आधार रहा है। वह 22 साल वहां से एम०एल०ए० रहे हैं। वहां कई संस्थाएं कार्यरत हैं और कई संस्थाओं ने अपने प्रोजेक्ट "कपार्ट" में भेजे हैं। महोदय, क्षमा कीजिएगा, कहावत है "कपार्ट" में कि 10 परसेंट दे दो फिर जितना पैसा चाहिए ले जाओ। हमारे यहां एक सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र नाम से संस्था है। उस को "कपार्ट" ने 90 लाख से अधिक रुपया दिया है। वह मेरे जिले की संस्था है। मैंने कई बार सवालों के माध्यम से इस संस्था के बारे में जानकारी चाही है, मंत्री महोदय को पत्र लिखे है, "कपार्ट" के डायरेक्टर जनरल को पत्र लिखा है। उस संस्था की जांच हेतु एक सदस्य ने लिखा है कि उस में लाखों रुपए का गबन हुआ है । उसके विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज होनी चाहिए, मगर आश्चर्य की बात है ....

MR. CHAIRMAN: So, what is the question?

श्री रामदेव भंडारी: उस संस्था को न तो कालीसूची में डाला गया है और न उस के खिलाफ कोई कार्यवाही हो रही है। यह आलम है "कपार्ट" का। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिस संस्था के खिलाफ एक सदस्य ने एफ०आई०आर० दर्ज करने का आदेश दिया है, जिस ने 90 लाख से अधिक रुपए का दुरुपयोग किया है, उस का सेक्रेटरी विधान सभा में खड़ा होता है, वह पॉलिटिकल यूज करता है उस पैसे का, क्या उस संस्था के खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे और "कपार्ट" में जो लूट और पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उस के संबंध में कुछ करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Now, I call upon the Minister to answer. The Minister will answer.

डा० जगन्नाथ मिश्र: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य सुषमा जी और रामदेव भंडारी जी ने कहा, "कपार्ट" की तरफ से सख्त कार्यवाही की जा रही है। इन संस्थाओं द्वारा 61 करोड़ रुपए का दुरुपयोग करने की शिकायतें आईं। इस मामले को सी०बी०आई० के सुपुर्द कर दिया गया है और सरकार की तरफ से "कपार्ट" को कहा गया है। "कपार्ट" ने एक विजिलेंस ऑफिसर की बहाली भी कर दी है। उन्हें कानूनी सहायता भी दी जा रही है और इन संस्थाओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही सरकार के स्तर से की जा रही है। उस में कोई ढिलाई या कमजोरी या उदासीनता न सरकार के स्तर से है और न "कपार्ट" के स्तर से कोई भेदभाव किया जा रहा है। पूरी सख्ती से इन सभी संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। कालीसूची में जिन का नाम दर्ज है, वह 359 हैं और उस की पूरी सूची आज सदन के पटल पर हम रख रहे हैं। भंडारी जी की जो प्रश्न संख्या-71 है, उसी के अंतर्गत यह सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गयी है।

श्री रामदेव भंडारी: मैंने एक संस्था द्वारा 90 लाख रुपए के दुरुपयोग के बारे में पूछा था, उस के बारे में बताइए ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. I have called another Member. You took so much time to ask a question. Others should get a chance.

श्री चतुरानन मिश्र: सभापति महोदय, एक तो मेरा सुझाव है कि "कपार्ट", मंत्री महोदय इस विभाग का नाम लूटपाट रख दे, कपाट के बजाय लूटपाट। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सुषमा स्वराज: कपट। कपट।

श्री चतुरानन मिश्र: नहीं, कपट तो अलग है, हो पाएगा नहीं। एक तो यह लूटपाट रख दें, अगर मंजूर हो तो इस विभाग का नाम। दूसरा, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह सब तरीका जो आप अख्तियार कर रहे हैं, एक विजिलेंस आफीसर को बहाल किया, यह किया, ऐसा नहीं करके, चूंकि आपको बहुत अनुभव है, कोई इन बिल्ट सिस्टम आप बनाएंगे, जिससे कि चेकअप हो सके और यह लूटपाट जो है यह बंद हो सके? क्या आप ऐसा करेंगे?

डा० जगन्नाथ मिश्र: सभापति महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव विचारणीय है। ...**(व्यवधान)**...

श्री दीपांकर मुखर्जी: कौनसा वाला? यो जो पहला वाला सुझाव है लूटपाट। ...**(व्यवधान)**...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: लूटपाट वाला सुझाव? ...**(व्यवधान)**...

श्री दीपांकर मुखर्जी: यही तो उनका पहला सुझाव है।

MR. CHAIRMAN: You don't have to answer that question.

डा० जगन्नाथ मिश्र: सभापति महोदय, गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रोत्सहित किया जाए सामाजिक, आर्थिक निर्माण-कार्यों के लिए क्योंकि केवल सरकारी एजेन्सी से कार्य न हों बल्कि जनता के स्तर से भी विकास के कार्यक्रम किए जाएं। इसे उद्देश्य से इस संस्था का गठन किया गया, निर्माण किया गया। देश में बहुत सारी अच्छी संस्थाएं हैं, जो कार्य अच्छे कर रही हैं। कुछ बुरी संस्थाओं की वजह से ...(**व्यवधान**)...

SHRI CHATURANAN MISHRA: Sir, that was not my question. He is replying something else.

MR. CHAIRMAN: The hon. Member wants some in-built mechanism.

DR. JAGANNATH MISHRA: I am coming to that.

SHRI CHATURANAN MISHRA: But you are giving some lecture.

SHRI JAGANNATH MISHRA: I am coming to that.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Come to that soon. What about the *'lootpat'*?

डा० जगन्नाथ मिश्र: आपने जो कपाट संस्था के निरर्थक की बात कही, उसी के उत्तर में मैंने कहा कि यह संस्था सार्थक है, उपयोगी है क्योंकि जन-सहयोग से हम सामाजिक, आर्थिक निर्माण-कार्यों को संपन्न कराते हैं ऐसी संस्था के माध्यम से। यहां तक गड़बड़ियों को, भ्रष्टाचार को रोकने का सवाल है, सरकार की ओर से लगातार सख्ती की जा रही है, आगे की जाएगी। हम इस सुझाव पर विचार करेंगे कि इन-बिल्ट सिस्टम इसमें हम कोई बना दें कि योजना के प्रारंभ होने से योजना के पूर्ण होने तक कोई जांच-पड़ताल पूरी की जाए। यहां तक माननीय सदस्य रामदेव भंडारी जी ने पूछा था उस संस्था के बारे में, उसके संबंध में तीन सदस्यों की कमेटी बनाकर उसकी हम जांच करा रहे हैं। उसकी आगे की कार्यवाहियों पर हमने पूरी रोक लगा दी है। इसलिए सरकार की तरफ से कोई नर्मी नहीं बरती जा रही है ऐसी संस्थाओं पर, जो दुरुपयोग कर रही हैं सरकारी धन का।

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, we have a budgetary provision of Rs. 3,000 — Rs. 4,000 crores for Rural Development. The budgetary allocation for CAPART is around Rs. 70 crores per year. Why is it that the Cabinet Minister is the *ex officio* Chairman of CAPART? Why is it that the Minister of State for Rural Development is the *ex officio* Vice-Chairman? Is it correct, in principle? Are these persons responsible for the loot that is going on in CAPART? Would you stop nominating Ministers as Chairman and Vice-Chairman of this wonder organisation, CAPART?

डा० जगन्नाथ मिश्र: सभापति महोदय, यह संस्था 10 साल पहले बनी थी, रजिस्टर्ड हुई थी सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक। इसके बाई-लाज के मुताबिक जनरल कौंसिल के अध्यक्ष मंत्री पदेन होते हैं, कार्य समिति के अध्यक्ष राज्यमंत्री होते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: क्यों?

डा० जगन्नाथ मिश्र: जो है, सो हम बता रहे हैं। जो गठन है कपाट का, वह 10 साल पहले, मतलब 1985-86 में इसका गठन किया गया। उस समय के जो बाई-लाजबने, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक जो रजिस्टर्ड हुआ, उसी में प्रावधान किया हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे जनरल-कौंसिल के, राज्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होंगे एग्जीक्यूटिव कांसिल के और 100 सदस्य होंगे सामान्य परिषद में, भिन्न-भिन्न कई संस्थाओं के प्रतिनिधि उसमें सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। इसलिए किसी मंत्री ने कोई इसकी अध्यक्षता नहीं ले ली है बल्कि यह पदेन काफी वर्षों से चला आ रहा है।

SHRI S. JAIPAL REDDY: Is it correct, Mr. Minister? Would you stop this practice? It is an undesirable practice because, if the Minister is the Chairman, how can the Minister also oversee the functioning of the organisation as Minister? This is untenable, in principle. You change the bye-laws.

SHRI SATISH AGARWAL: You should change the bye-laws.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Proposal of SAIL to Provide Technical Know-how

*61. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether the SAIL propose to provide technical know-how to firms in foreign countries;

(b) if so, the purpose and reasons therefor;

(c) whether the SAIL have entered into any contract with any foreign firm for the purpose; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) to (d) SAIL has diversified its activities into the area of marketing of technical and managerial expertise accumulated over four decades of experience of building, operating and maintaining steel plants of diversed technologies and product-mix. The marketing of these services is being done through SAIL Consultancy Division (SCD), a Corporate Level Division. The main purpose is to market the expertise and experience available within SAIL to clients in India and abroad. This will also bring in larger awareness about SAIL which will help in expanding its market segments and image building.

Services are offered by SAIL generally in the following areas:—

(i) Project Design, Engineering & Execution Services.

(ii) Technology and Know-how Services.

(iii) Operational Assistance Services.

(iv) HRD and Management Services.

SAIL has entered into agreement with a number of foreign firms to render these services, details of which are as follows:—

Sl. No.	Firm	Area	Services Provided
1.	Phoenix Iron & Steel Corporation (PISCOR), Philippines.	Operation & Maintenance	Rehabilitation of 40 T Open Hearth Furnace (Based on Cold Charge)
		Project Consultancy	Revival of Second (40 T) Open Hearth Furnace and installation of Electric Arc Furnace, Ladle Furnance and Continuous Casting facilities.
2.	Ashok Steel Industries Private Limited, Nepal.	Project Consultancy	Stabilisation of Bar & Rod Rolling Mill & Product Diversification to produce structurals.
		Operation & Maintenance	Productivity enhancement from 8000 TPA to 20000 TPA through systems improvement.